**राजस्थान सरकार**
**विधि एवं विधिक कार्य विभाग**

क्रमांक0 प.22(1)न्याय/2018 जयपुर दिनांकः 22-7-19

श्री मोहनलाल गुप्ता
सहायक विधि परामर्शी
ऊर्जा विभाग, शासन सचिवालय,
जयपुर।

**विषयः–** राजकीय आदेशों की अवहेलना के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14.06.2019 द्वारा आपका स्थानान्तरण सहायक विधि परामर्शी ऊर्जा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर से मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), जल संसाधन विभाग, जयपुर में उप विधि परामर्शी के रिक्त पद के विरूद्ध किया गया। आप द्वारा आज दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं किया गया है, जबकि इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14.06.2019 में यह निर्देशित किया गया था कि इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 के अनुसार उक्त आदेश की पालना 7 दिवस में हर सूरत में कार्यमुक्त होकर अथवा विभाग द्वारा कार्यमुक्त नहीं करने की स्थिति में बिना कार्यमुक्त हुए नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करे अन्यथा इसे गम्भीरता से लिया जाकर आपके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी। आपकी कार्यग्रहण रिपोर्ट इस कार्यालय में अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। उक्त आदेश/निर्देशों की पालना आप द्वारा नहीं की गई है।

आपका कृत्य प्रथम दृष्टया अनुशासनहीनता, कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा की श्रेणी में आना प्रकट होता है, अतः क्यों नहीं आपके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाये।

आप अविलम्ब कार्यग्रहण करते हुए इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण 3 दिवस में प्रस्तुत करें। यदि आपके द्वारा प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जावेगा कि इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं तथा आपके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के अंतर्गत नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

22-7-19

**(मधुसूदन शर्मा)**
**संयुक्त शासन सचिव**

D:\LA\General Letter.doc